

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम सीमान्तर्गत वार्डों में डोर-टू-डोर अपशिष्ट प्रबन्धन के एवज में यूजर चार्ज/सेवा शुल्क की दरों में संशोधन करने की स्वीकृति नगर निगम अधिवेशन में प्रदान की गई है। उक्त दरें दिनांक 01.04.2023 से नगर निगम, देहरादून के समस्त 100 वार्डों के अन्तर्गत लागू होंगी। संशोधित यूजर चार्ज/सेवा शुल्क (User Charges) की दरें निम्न अनुसार हैं:-

क्र०	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	यूजर चार्ज/सेवा शुल्क (User Charges)
1.	बीपीएल कार्ड धारक, मलिन बस्ती एवं ई०डब्ल्यू०एस०	रु 30/- प्रतिमाह
2.	कम आय वाले घर बी०पी०एल० कार्ड धारक के अतिरिक्त अन्य समस्त	रु 70/- प्रतिमाह
3.	सोसायटी/ Multi Story Apartment	40 फ्लैट तक रु 2000/-, 41 से 100 फ्लैट तक रु 5000/-, 100 फ्लैट से अधिक रु 10000/- प्रतिमाह
4.	मांस एवं मछली विक्रेता	10 कि०ग्रा० तक रु 400/-, 10 कि०ग्रा० से अधिक पर रु 600/- प्रतिमाह
5.	रेस्टोरेंट	छोटे रु 300/-, मध्यम रु 600/-, बड़े रु 2000/- प्रतिमाह
6.	होटल/लॉज/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु 1000/-, 21 बेड से 40 बेड तक रु 2500/-, 41 बेड से अधिक रु 5000/-, 4 सितारा/5 सितारा रु 10000/- प्रतिमाह
7.	धर्मशाला	रु 200/- प्रतिमाह
8.	बारात घर	रु 1500/- प्रतिमाह
9.	छात्रावास सुविधा वाले स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (गैर सरकारी)	रु 2000/- प्रतिमाह
10.	बगैर छात्रावास सुविधा वाले स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (गैर सरकारी)	रु 500/- प्रतिमाह
11.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/क्लीनिक, पैथोलॉजी (बायोमैडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु 800/-, 21 बेड तक 50 बेड तक रु 1500/-, 50 बेड से अधिक रु 5000/- प्रतिमाह
12.	दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु 100/-, शोरूम रु 500/-, छोटे मॉल/मैगा स्टोर रु 2000/-, बहुमंजिले मॉल रु 10000/- प्रतिमाह
13.	फैक्ट्री/वर्कशॉप/कारखाना	छोटी रु 1000/-, मध्यम रु 2000/-, बड़ी रु 5000/- प्रतिमाह
14.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस, प्रदर्शनी, विवाह, मेले आदि का आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु 2000/-प्रतिदिन/प्रति कार्यक्रम
15.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	आधी ट्रॉली रु 1000/-, फुल ट्रॉली रु 2000/- प्रतिमाह

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



(का०-0135-271407:फैक्स-0135-2651060:ई-मेल-nagarnigam.ddun@gmail.com)

पत्रांक 2483/यू०चार्ज/2022-23

दिनांक 20 मार्च, 2023

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मा० महापौर, नगर निगम, देहरादून।
2. समस्त मा० प्रार्थदगण।
3. सम्पादक, शाहदोईस समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क बिल के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. श्री मनीष पन्त, आई०टी० ऑफिसर, को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को नगर निगम, देहरादून की वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नगर निगम, देहरादून नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून